रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, सोमवार, जून 10, 2013/ज्येष्ठ, 20, 1935
No. 164] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 10, 2013/JYAISTHA 20, 1935

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2013

फा.सं. 4/15015/30/2011.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय प्ररूप विनिमय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप–धारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 16 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फाइल संख्या 4/15015/30/2011, तारीख 29 दिसंबर, 2011 में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, से उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, से दस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां 2 जनवरी, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 3.1 में, —

(क) उप–विनियम 3.1.2 में खाद्य में पोलियोल्स के उपयोग से संबंधित खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि च्युंगम में टाइटेनियम डाइऑक्साइड (खाद्य श्रेणी) की अधिकतम एक प्रतिशत मात्रा अंतर्विष्ट हो सकेगी ।"

के. चंद्रमौली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन–III/4/असाधरण/187–ओ/13]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना सं. फा. सं. 2/15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किये गए थे ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2013

F. No 4/15015/30/2011.—Whereas certain draft regulations to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, were published under clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 4/15015/30/2011, dated the 29th December, 2011 in the Gazette of India, Extraordinary, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of ten days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on the 2nd January, 2012;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulation, 2011, namely:—

REGULATIONS

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 3.1,
(a) in sub-regulation 3.1.2, after clause (4) relating to use of Polyols in Foods, the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that chewing gum may contain Titanium dioxide (Food Grade) up to a maximum limit of one Per cent."

K. CHANDRAMOULI, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./187-O/13]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2/15015/30/2010, dated the 1st August, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2013

फा.सं. 4/15015/30/2011.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग, और लेबलिंग) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय विनिमय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप–धारा (2) के खंड (ट) के साथ पठित धारा 23 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फाइल संख्या 4/15015/30/2011, तारीख 29 दिसंबर, 2011 में प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, से दस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां 2 जनवरी, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) के साथ पठित धारा (23) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.2 में,—लेबलिंग से संबंधित,—

क. उप–विनियम 2.2.1 में, खंड 6 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7) प्रमुख प्रदर्श पेनल पर अनुज्ञप्ति संख्या निम्नलिखित रूप विधान में प्रदर्शित होगी, अर्थात् :—

fssai
FSSL 10000000000000

परंतु किसी इकाई के विधमान उत्पाद, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 के प्रवृत होने पर और उसके छः मास के पश्चात्, इस खंड की अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे ।

के. चंद्रमौली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन.– III/असा./187–ओ/13]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फा. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2013

F. No 4/15015/30/2011.—Whereas certain draft regulations to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, were published under clause (k) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No 4/15015/30/2011, dated the 29th December, 2011 in the Gazette of India, Extraordinary, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of ten days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on the 2nd January, 2012;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011, namely:—

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to "Labeling",-

(a) in sub- regulation 2.2.1, after clause 6, the following clause shall be inserted, namely:-

"(7) License number shall be displayed on the principal display panel in the following format, namely:—

fssai
FSSL 10000000000000

* Provided that the existing products of a unit shall comply with the requirement of this clause on and after the six months of commencement of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulation, 2013".

K. CHANDRAMOULI, Chief Executive Officer
[ADVT. III/4/Exty./187-O/13]

Note : The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2/15015/30/2010, dated the 1st August, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.